कार्यालय जिला पंचायत, वाराणसी।

पंजीयन / नवीनीकरण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत,वाराणसी में निर्माण कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 ठेकेदारी पंजीयन कराने के इच्छुक व्यक्तियों तथा गत वर्ष के पंजीकृत ठेकेदारों के नवीनीकरण हेतु दिनांक–26–03–2018 से 20–04–2018 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।उक्त विज्ञप्ति सूचना जिला पंचायत, वाराणसी के पोर्टल http://vazp.uppr.gov.in पर भी उपलब्ध है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य / आवश्यक है:–

1–निवास प्रमाण–पत्र एवं मूल पत्र व्यवहार का पता (शपथ पत्र के साथ)।2– चरित्र प्रमाण–पत्र जो गृह जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (टी0–4)पर निर्गत किया गया हो, जो दो वर्ष के अन्दर का हो।

3–हैसियत प्रमाण–पत्र पॉच लाख रू0 का जो जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (टी0–5) पर निर्गत किया गया हो, जो दो वर्ष के अन्दर का हो।

4–जिला पंचायत में ठेकेदारी पंजीयन / नवीनीकरण सामान्य जमानत धनराशि(मु025,000.00रू0 नगद जिलानिधि में एवं मु0 25,000.00 रू0 का राष्ट्रीय बचत पत्र / किसान विकास पत्र / बैंक एफ0डी0आर0 जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, वाराणसी के पक्ष में बंधक होगा।

5– व्यापार कर में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र(टिन नम्बर,रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एंव अदेयता प्रमाण पत्र)संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6– आयकर विभाग द्वारा प्राप्त पैन कार्ड।

7– सरकरी विभागों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

8– पासपोर्ट साइज की दो फोटोग्राफ।

9– जिला पंचायत में ठेकेदारी पंजीयन शुल्क मु0 10,000.00 रू0 एवं नवीनीकरण शुल्क मु0 2,000.00 रू0 जमा करना होगा।

10–जिला पंचायत में जो भी व्यक्ति / संस्था ,ठेकेदारी का कार्य करना चाहेगा ,उसे स्वघोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर देना होगा।यह स्वघोषणा पत्र रू0 100.00 के स्टाम्प पर देना होगा ।

11–निर्माण नियमावली की धारा 18 के अन्तर्गत ठेकेदार का नवीनीकरण पूर्व में किये गये कार्य के गुणदोश के आधार पर किया जायेगा। उनके पूर्व वृत्त की जॉचोपरान्त नवीनीकरण किया जायेगा।

12–नोटिस दिये जाने के बाद भी जिन ठेकेदारों द्वारा समयान्तगर्त गुणवत्तापरक ढंग से कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, उनका नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

13–जिला पंचायत के पंजीकृत ठेकेदार जिनका नवीनीकरण अपेक्षित है उनको मात्र चरित्र प्रमाण–पत्र / हैसियत प्रमाण–पत्र टी0–4 (यदि किसी व्यक्ति द्वारा हैसियत प्रमाण–पत्र टी0–5 अपने अभिभावक का दिया जा रहा है तो उस व्यक्ति का चरित्र प्रमाण–पत्र टी0–4) / टी0–6 एवं नवीनीकरण शुल्क देय होगा।

14–उत्तर प्रदेश शासन पंचायतीराज के पत्र सं0 6596 / 33–93–69जी / 93 दिनांक–01.11.1993 द्वारा प्रसारित निर्देशानुसार जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कराये जाने वाले निर्माण तथा सामग्री आपूर्ति के ठेको में जिला पंचायत द्वारा के पदाधिकारी सदस्य अधिकारी तथा कर्मचारी या उनके किसी सम्बन्धियों को भाग लेने की अनुमति नहीं है। सम्बन्धियों की परिभाषा उत्तर प्रदेश जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 के नियम 54 में स्पष्ट रूप से

दी गयी परिभाषा (इस नियम के प्रयोजनों के लिए सम्बन्धी का तात्पर्य पिता, पितामह, ससुर,चाचा या मामा ,पुत्र,पौत्र, दामाद,भाई,भतीजा, या भांजा, सगा चचेरा या ममेरा भाई,पत्नी की बहन, पत्नी,पुत्री,पुत्रवधु,बहन,भाभी जो भाई या सगे चचेरे या ममेरे भाई की पत्नी हो माता,सास,चाची या मामी से है।) से सम्बन्धित व्यक्ति का आवेदन पत्र स्वत; निरस्त समझा जायेगा।

आवेदनकर्ता को जिला पंचायत के पदाधिकारी, सदस्य, अधिकारी तथा कर्मचारी या उनके किसी सम्बंधी को न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(अखिलेश कुमार)
अभियन्ता
जिला पंचायत,वाराणसी।

(सुधीर कुमार)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, वाराणसी।

(ई0 अपराजिता सोनकर)
अध्यक्ष
जिला पंचायत, वाराणसी।

पत्रांक: 880 /जि0पं0वा0 / 2017–18

दिनांक 23 मार्च, 2018